निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण 1946 (श0)

(सं0 पटना 691) पटना, बुधवार, 24 जुलाई 2024

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

24 जुलाई 2024

सं० वि०स०वि०–14/2024–**2776**/वि०स० ।— ''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 24 जुलाई, 2024 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

[वि०स०वि०-17/2024]

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 12, 2017) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**–
(1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
(2) यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **धारा 2 का संशोधन।**– बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (61) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:–
'(61) ''इनपुट सेवा वितरक'' से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकार का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे, जिसके अन्तर्गत धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है और धारा 20 में उपबंधित रीति में ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी है '।

3. **धारा 20 का प्रतिस्थापन।**– मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–
''20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति।
(1) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे कर बीजक प्राप्त करता है, जिसके अन्तर्गत धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है, से धारा 24 के खंड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा होगी और वह ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा।
(2) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर प्रभारित राज्य कर या एकीकृत कर प्रत्यय का, जिसके अन्तर्गत धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर उदग्रहण के अधीन सेवाओं के संबंध में राज्य या एकीकृत कर के प्रत्यय को उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, वितरण करेगा।
(3) राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में एक ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट होगी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वितरण किया जाएगा।

4. **नई धारा 122क का अन्तःस्थापन।**– मूल अधिनियम की धारा 122 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–
''122क. माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनों को विशेष प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर करने में असफलता के लिए शास्ति।
(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, जहां कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है, जिसके संबंध में धारा 148 के अधीन मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य करता है, तो वह किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त, जो अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदत्त की गई है या संदेय है, प्रत्येक ऐसी मशीन के लिए, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, एक लाख रूपये की रकम के बराबर किसी शास्ति के लिए दायी होगा।
(2) प्रत्येक ऐसी मशीन, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उपधारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी :
परन्तु ऐसी मशीन का अधिहरण नहीं किया जाएगा, जहाँ,–
(क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का संदाय कर दिया गया है, और
(ख) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण, शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर, विश्सोष प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।''।

वित्तीय संलेख

प्रस्तावित बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 में राज्य की संचित निधि से कोई आवर्ती या गैर–आवर्ती व्यय शामिल नहीं है।

विधेयक के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(सम्राट चौधरी)
भार–साधक सदस्य।

उद्देश्य एवं हेतु

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल और सेवा कर प्रणाली लागू है। तद्नुसार राज्य में भी बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अधिनियमित किया गया है।

जीएसटी परिषद् की 50वीं एवं 52वीं बैठक में परिषद् द्वारा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में 'इनपुट सेवा वितरक' की परिभाषा तथा संबंधित धारा–20 में कतिपय संशोधन करने की सिफारिश की गयी। इसके अतिरिक्त कतिपय मशीनों के रजिस्ट्रीकरण संबंधी विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन हेतु शास्ति निर्धारण के निमित्त एक नई धारा–122क जोड़े जाने की भी सिफारिश की गयी।

उक्त अनुशंसाओं को संसद द्वारा वित्त अधिनियम, 2024 में शामिल करते हुए पारित किया जा चुका है तथा भारत के राजपत्र में दिनांक 15 फरवरी, 2024 को यह प्रकाशित भी किया जा चुका है।

चूंकि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा राज्य माल और सेवा कर अधिनियम एक दूसरे के प्रतिबिंब (Mirror Image) हैं। अतः केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये किसी भी संशोधन के आलोक में बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन किया जाना वांछनीय है।

प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की पारिभाषिक धारा 2 एवं धारा 20 में संशोधन किया गया है तथा एक नई धारा–122क जोड़ा जा रहा है ।

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

(सम्राट चौधरी)

(सम्राट चौधरी)
भार–साधक सदस्य।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना
दिनांक–24.07.2024

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 691-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in